कार्यालय वन मंडल अधिकारी, खैरागढ वनमंडल खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com [Phone & Fax - (07820) 234278]

क्रमांक / मा.चि. / क्ष.व. / न.क्र. 22–8 / 1649 खैरागढ़, दिनांक 13 / 04 / 2016

प्रति,

प्रबंधक,
रायपुर–राजनांदगांव–वरोरा
ट्रासमिशन लिमिटेड बुटी बोरी नागपुर (महाराष्ट्र)

विषय :– **राजनांदगांव वनमंडल के बाघनदी परिक्षेत्र के अंतर्गत 765 के. व्ही. विद्युत सम्प्रेषण लाईन (रायपुर–राजनांदगांव–वरोरा) डालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्ता प्रमाण–पत्र बाबत्।**

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.04.2016

–=:000:=–

विषयांकित संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा किये गये निवेदन के तारतम्य में विभिन्न अधिरोपित शर्तो के अधीन क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन् इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

वन मंडल अधिकारी
~~खैरागढ़~~ वनमंडल खैरागढ़

क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के.व्ही. विद्युत सम्प्रेषण लाईन कार्य के लिये राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्ध आवेदक संस्थान रायपुर–राजनांदगांव–वरोडा ट्रांसमिशन लिमिटेड बुटीबोरी नागपुर महाराष्ट्र द्वारा खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत खैरागढ़ परिक्षेत्र के उपवृत्त चंगुर्दा, परिसर बरगांव पूर्व के नजदीकी वनकक्ष क्रमांक पी 331, एवं पी 333 की सीमा से लगा हुआ निम्नलिखित भूमि स्वामी की निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है :–

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	रा.नि.म.	तहसील	प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा एकड़ में	रकबा हेक्टेयर में
1	श्री महेश पिता बुधराम जाति राजपूत	बरगांव	पांडादाह	खैरागढ़	01	59	33.80	13.679
						योग–	33.80	13.679

उपरोक्त निजी भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त है। **अतः निम्न शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया जाता है :–**

(1) निजी भूमि स्वामी की क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराई जा रही उपरोक्त भूमि को आवेदक संस्थान अपने नाम पर रजिस्ट्री कराकर एक प्रति उपलब्ध करायेगा।

(2) निजी भूमि स्वामी की क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराई जा रही उपरोक्त भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ द्वारा नियुक्त किये जाने वाली संस्था से कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(3) निजी भूमि स्वामी की क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराई जा रही उपरोक्त भूमि को व्यपवर्तन के प्रकरण में स्वीकृति के तत्काल पश्चात वन विभाग के पक्ष में नामांतरित एवं हस्तांतरित करना होगा एवं तत्समय भूमि पूर्ण रूप से अतिक्रमण रहित होना चाहिये। अन्यथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा। इसलिये आवश्यक है कि आवेदक संस्थान भूमि पर अपना आवश्यक नियंत्रण रखें।

(4) निजी भूमि स्वामी की क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराई जा रही उपरोक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामांतरण करने के पूर्व राजस्व एवं वन विभाग के अमलों को साथ में रखकर नियमानुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण कराने का दायित्व आवेदक संस्थान का होगा।

(दिलराज प्रभाकर) भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
~~खैरागढ़~~ वनमंडल खैरागढ़

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल, खैरागढ़

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

दिनांक : 13-Apr-2016 ग्राम : बरगांव हल्का : 00001 रा नि : पांडादाह तहसील : खैरागढ़ जिला : राजनांदगांव वर्ष: 2016

		खाते के ब्यौरे		चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ					खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों क ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीक	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीक	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
58	महेश पिता-बुधराम उर्फ फुलसिंग पता बरगांव भूमि स्वामी	59	13.679		0.30	0.50										0.30	0.50					
कुल		1	13.679		0.30	0.50	0.80									0.30	0.50	0.80				

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्रतिलिपि प्रदान करने वाले का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि प्रदानकर्ता :- 13-Apr-2016 14:13:22

दिनांक :13-Apr-2016

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में

फसल की जानकारी पिछले वर्ष की है

खाना 5 से 11 में रबी तथा खरीफ की जानकारी है

फॉर्म पी-II
(खसरा)

ग्राम : बरगांव हल्का : 00001 रा नि : पांडादाह तहसील : खैरागढ़ जिला : राजनांदगांव वर्ष: 2016

भू-मापन क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम,उसके पिता का नाम या पति का नाम तथा निवास स्थान,अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई और देय राजस्व का लगान	*	क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बहार के क्षेत्रो में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	फसल का क्षेत्रफल	दु-फसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	13.679	महेश पिता-बुधराम उर्फ फुलसिंग पता बरगांव भूमि स्वामी				0.000			13.679		

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
राजनांदगाँव (छ.ग.)

• किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौसमी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल

प्रतिलिपि प्रदान करने वाले का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि प्रदानकर्ता :- 13-Apr-2016 14:15:34

खसरा नक्शा

दिनांक : १३/०४/२०१६ ०२:१२:५२ अपराह्न

ग्राम : बरगांव राजस्व निरीक्षक मण्डल : पांडादाह तहसील : खैरागढ़ जिला : राजनांदगांव

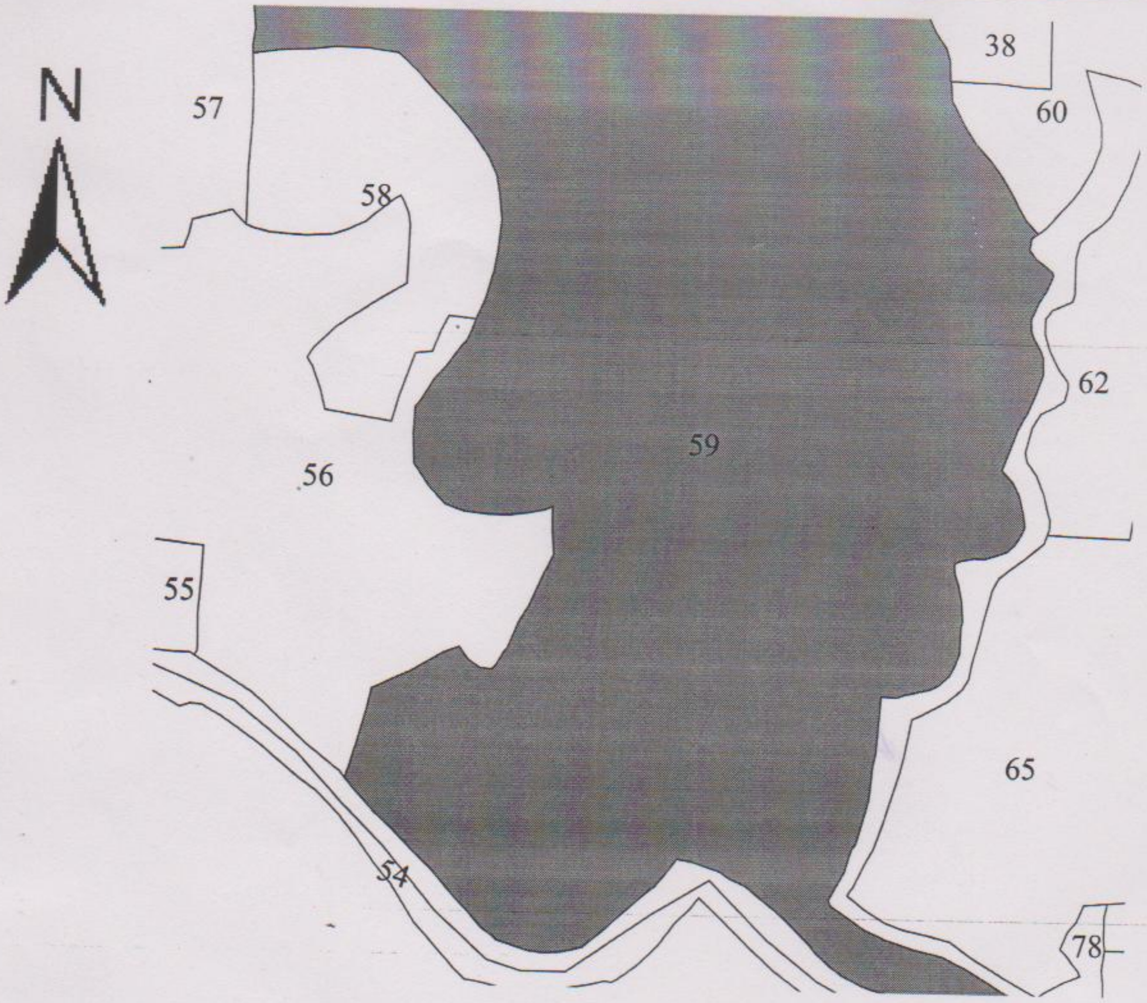

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 59
रकबा : 13.679 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.000
असिंचित रकबा : 0.000

नाम : महेश : व अन्य (कूल -1 भूस्वामी)
पिता का नाम : पिता-बुधराम उर्फ फुलसिंग
पता : बरगांव

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
राजनांदगाँव (छ.ग.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा